

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

उप सचिव, पंचायती राज विभाग के राज्यादेश संख्या 46 दिनांक 19.02.2014 के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को संविदा राशि भुगतान हेतु राशि की स्वीकृति के आलोक में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या - 05/पं०/गैर योजना-014/2014-50(आ०)/प०रा०, पटना, दिनांक 16.12.2014 के द्वारा गैर योजना मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु 3104-सहायता अनुदान वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 22,80,000/- (बाईस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नांकित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित क्रमांक - 5 के अनुसार राशि का उपवांटन किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	ग्राम कचहरी की कुल संख्या	ग्राम कचहरी के सचिवों की संख्या	गैर योजना मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु 3104-सहायता अनुदान वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्राप्त आवंटन का उपावंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्र०वि०पदा०, सदर मुंगेर	13	13	3,12,000.00 (तीन लाख बारह हजार रुपये)	
2	प्र०वि०पदा०, जमालपुर	10	09	2,16,000.00 (दो लाख सोलह हजार रुपये)	
3	प्र०वि०पदा०, धरहरा	13	11	2,64,000.00 (दो लाख चौंसठ हजार रुपये)	
4	प्र०वि०पदा०, बरियारपुर	11	11	2,64,000.00 (दो लाख चौंसठ हजार रुपये)	
5	प्र०वि०पदा०, ह० खड़गपुर	18	17	4,08,000.00 (चार लाख आठ हजार रुपये)	
6	प्र०वि०पदा०, टेटिया बम्बर	07	07	1,68,000.00 (एक लाख अड़सठ हजार रुपये)	
7	प्र०वि०पदा०, असरगंज	07	07	1,68,000.00 (एक लाख अड़सठ हजार रुपये)	
8	प्र०वि०पदा०, तारापुर	12	10	2,40,000.00 (दो लाख चालीस हजार रुपये)	
9	प्र०वि०पदा०, संग्रामपुर	10	10	2,40,000.00 (दो लाख चालीस हजार रुपये)	
	कुल -	101	95	22,80,000.00 (बाईस लाख अस्सी हजार रुपये)	

उपावंटित राशि की निकासी राज्यादेश संख्या 46 दिनांक 19.02.2014 में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अन्तर्गत किया जाय एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, जो बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 270 के आलोक में राशि की निकासी करेंगे। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव के वास्तविक भुगतान हेतु राशि की समीक्षा कर लेंगे एवं तदनुरूप ग्राम कचहरी सचिव नियमावली 2007 नियम 08 (2) के आलोक में राशि की निकासी कर इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित ग्राम कचहरियों के खाते के द्वारा करना सुनिश्चित करें। शेष बचे हुए राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक 19.03.2014 तक निश्चित रूप से जिला पंचायत राज कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। राशि की निकासी ससमय नहीं होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - एम०-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 में निहित निर्देश के आलोक में करना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय प्रस्तुत किये गये विपत्र पर विषयांकित बजट शीर्ष, इकाईयों का कोड, मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें साथ ही राशि की निकासी कर व्यय किये गये राशि का लेखा संधारण महालेखाकार से कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखना सुनिश्चित करें।



उपावंटित राशि को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय साथ ही राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में किया जाय। ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

उपावंटित की जा रही राशि की निकासी दिनांक 18.01.2015 तक पूर्ण रूपेण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 19.01.2015 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित की जा रही राशि की निकासी करते समय विपत्र कोड एन0-2515001980010 एवं मांग संख्या 16 अवश्य रूप से अंकित किया जाय।



जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 857 / पं०, दिनांक 23/12/2014

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/तारापुर एवं खड़गपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आवंटन को मुंगेर वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।



जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।